वैब साईट पर अपलोड करने बाबत्

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर– 342001

email- jdajodhpur@yahoo.comosc–साईटjodhpurjda.orgPhone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक :– S-A/1097 दिनांक : 11/12/17

नीलामी विज्ञप्ति

:: अधिशाषी अभियंता दक्षिण/11/2017–18 ::

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा निम्नाकिंत कार्य हेतु जीएसटी नियमो के अन्तर्गत पंजीकृत एवं संबंधित व्यवसाय में कार्यरत प्रतिष्ठानो /व्यवसायो/संवेदको/फर्मो को नीलामी मे भाग लेने के हेतु आमंत्रित किया जाता है। सक्षम प्रतिष्ठानो /व्यवसायो/संवेदको/फर्मो से 5 प्रतिशत राशि ली जायेगी तथा निविदा के साथ 2 प्रतिशत राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम से निम्न विवरण अनुसार प्राधिकरण में जमा करानी आवश्यक है।

निविदा का विवरणः–

क्र. सं.	कार्य का नाम	बोली की न्युनतम रिजर्व राशि (लाखों में)	धरोहर राशि (लाखों में)	धरोहर राशी व संबंधित दस्तावेज जमा कराने की दिनांक व समय	बिड फोरमेट बंद लिफाफे में जमा कराने का स्थान	नीलामी की दिनांक व समय
1	शास्त्री सर्कल में म्युजिकल फाउंटेन चलाने के समय प्रवेश शुल्क की वसुली के बदले वार्षिक किराया जमा कराया जाना।	2.28	5000/-	26.12.2017 सांय 4.बजे तक	जोन दक्षिण कमरा नं 56	28.12.17 11 बजे से 4 बजे तक

निविदा की महत्वपर्ण शर्ते निम्नानुसार है:–

1. निविदा की प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
2. यदि संवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बंधित जोन अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो,तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
3. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इन्जिनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा निवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नही कर सकेंगें। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहॉ से सेवायें लेने से पहले अनुमति नही ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
4. निविदादाता को निविदा भरते समय साथ में निविदा शुल्क, धरोहर राशि, GST Registration की प्रति आवेदन के साथ प्रस्तूत कार्यालय मे जमा उपरोक्त विवरण अनुसार जमा करानी होगी।
5. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एंव बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
6. म्युजिकल फाउटेन चालने के समय प्रवेश शुल्क वसुली का कार्य 2 वर्ष के लिये होगा तथा नियमानुसार बढाया जा सकेगा।
7. प्रवेश शुल्क रू. 5/– प्रति व्यक्ति होगा इससे अधिक शुल्क वसुल नही किया जायेगा। अन्यथा अनुबंध के अनुसार दंडात्मक कार्यावाही की जायेगी।
8. जीएसटी की राशि संवेदक द्वारा वहन की जायेगी।
9. प्रवेश शुल्क हेतु मुद्रित टिकट प्रवेशधारी को देना होगा एवं मुद्रित टिकट का अनुमोदन संबंधित अधिशाषी अभियंता से करवाना होगा।
10. प्रवेश शुल्क कार्यादेश जारी होने के सात दिवस के भीतर पुरे वर्ष का अग्रिम जमा करवाना होगा जो सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम से होगा। तथा दूसरे वर्ष के लिये 10 प्रतिशत राशि जोडकर जमा करानी होगी।
11. पांच वर्ष के कम उम्र के बच्चे/विकलांग व्यक्ति/वरिष्ठ नागरिक प्रवेश शुल्क से मुक्त रहेगें।
12. शास्त्री सर्कल पर फाउटेन बंद होने पर सभी नागरिक प्रवेश शुल्क से मुक्त रहेगें।
13. प्रवेश शुल्क की अवधि ग्रीष्मकालीन (अप्रेल से सितम्बर) सांय 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक एवं शीतकालीन (अक्टूम्बर से मार्च) सांय 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक रहेगी तथा इस अवधि में सर्कल का रखरखाव एवं सुरक्षा व्यवस्था संवेदक को करनी होगी। इसके लिए अलग से प्राधिकरण द्वारा कोई भुगतान नही किया जायेगा।
14. संवेदको को बिड फोरमेट के साथ अमानत राशि के रूप में (रू. 5000/–) का डीडी/बैंकर चैक/नकद,सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम से जमा करवाना होगा तथा सफल बोलीदाता को स्वीकृत बोली राशि का 25 प्रतिशत बोली स्वीकृत होते ही जमा करवाना होगा तथा शेष राशि 7 दिवस मे जमा करानी होगीा अन्यथा पूर्व मे जमा समस्त राशियां जब्त कर ली जाएगी।
15. कार्यादेश जारी होने के सात दिवस में निर्धारित मुद्रांक राशि के नॉन ज्युडिशल स्टाम्प पर अनुबंध का निष्पादन करना होगा। अनुबंध निष्पादन उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
16. उक्त निलामी की दरे बिड फोरमेट में भरकर सील बंद लिफाफे मे धरोहर राशि के साथ कमरा नं. 56 में स्थित निलामी बॉक्स में दिनांक 26.12.2017 को सायं 4.00 बजे तक डाली जानी है।
17. दर प्रस्तुत करने हेतु बिड फोरमेट जेडीए की वेबसाईट से अपलोड (डाऊनलोड) किया जा सकता है या कार्यालय के कमरा नं. 56 से प्राप्त किया जा सकता है।

अधिशाषी अभियंता (जोन–दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
दिनांक : 11/12/17

क्रमांक S-A / 1098-1111

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव,अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. निजी सचिव,आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. सहायक लेखाधिकारी,प्रथम/द्वितीय/तृतीय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि./जो.वि.वि.नि.लि./जन स्वा.अभि. विभाग, जोधपुर।
9. अधिशाषी अभियंता जोन– पूर्व/पश्चिम/उत्तर /आर.ओ.बी/पी.एच.ई./विद्युत, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
10. कैशियर /नोटिस बोर्ड।
11. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का www.jodhpurjda.org वेबसाईड पर तुरन्त प्रदर्शित (Up Load) करे।

अधिशाषी अभियंता (जोन–दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर– 342001

email- jdajodhpur@yahoo.comosc–साईटjodhpurjda.orgPhone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

BID FORMET

क.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अवधि	प्राधिकरण की तरफ से न्युनतम बोली राशि रूपयो (प्रतिवर्ष)	संवदेक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बोली राशि रूपयो (वार्षिक)
1.	शास्त्री सर्कल में म्युजिकल फाउटेन चलाने के समय प्रवेश शुल्क की वसुली के बदले वार्षिक किराया जमा कराया जाना।	2 वर्ष	228000/– (जीएसटी अतिरिक्त)	जीएसटी अतिरिक्त) रू.................. .... शब्दो मे ....

निविदा की महत्वपर्ण शर्तें निम्नानुसार हैः–

1. निविदा की प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
2. यदि संवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बंधित जोन अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो,तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
3. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इन्जिनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा निवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नही कर सकेंगें। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहॉ से सेवायें लेने से पहले अनुमति नही ली है, तो अनुबन्ध रदद किया जा सकेगा।
4. निविदादाता को निविदा भरते समय साथ में निविदा शुल्क, धरोहर राशि, GST Registration की प्रति आवेदन के साथ प्रस्तूत कार्यालय मे जमा उपरोक्त विवरण अनुसार जमा करानी होगी।
5. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एंव बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
6. म्युजिकल फाउटेन चालने के समय प्रवेश शुल्क वसुली का कार्य 2 वर्ष के लिये होगा तथा नियमानुसार बढाया जा सकेगा।
7. प्रवेश शुल्क रू. 5/– प्रति व्यक्ति होगा इससे अधिक शुल्क वसुल नही किया जायेगा। अन्यथा अनुबंध के अनुसार दंडात्मक कार्यावाही की जायेगी।
8. जीएसटी की राशि संवेदक द्वारा वहन की जायेगी।
9. प्रवेश शुल्क हेतु मुद्रित टिकट प्रवेशधारी को देना होगा एवं मुद्रित टिकट का अनुमोदन संबंधित अधिशाषी अभियंता से करवाना होगा।
10. प्रवेश शुल्क कार्यादेश जारी होने के सात दिवस के भीतर पुरे वर्ष का अग्रिम जमा करवाना होगा जो सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम से होगा। तथा दूसरे वर्ष के लिये 10 प्रतिशत राशि जोडकर जमा करानी होगी।
11. पांच वर्ष के कम उम्र के बच्चे/विकलांग व्यक्ति/वरिष्ठ नागरिक प्रवेश शुल्क से मुक्त रहेगें।
12. शास्त्री सर्कल पर फाउटेन बंद होने पर सभी नागरिक प्रवेश शुल्क से मुक्त रहेगें।
13. प्रवेश शुल्क की अवधि ग्रीष्मकालीन (अप्रेल से सितम्बर) सांय 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक एवं शीतकालीन (अक्टूम्बर से मार्च) सांय 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक रहेगी तथा इस अवधि में सर्कल का रखरखाव एवं सुरक्षा व्यवस्था संवेदक को करनी होगी। इसके लिए अलग से प्राधिकरण द्वारा कोई भुगतान नही किया जायेगा।
14. संवेदको को बिड फोरमेट के साथ अमानत राशि के रूप में (रू. 5000/–) का डीडी/बैंकर चैक/नकद,सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम से जमा करवाना होगा तथा सफल बोलीदाता को स्वीकृत बोली राशि का 25 प्रतिशत बोली स्वीकृत होते ही जमा करवाना होगा तथा शेष राशि 7 दिवस मे जमा करानी होगी। अन्यथा पूर्व मे जमा समस्त राशियां जब्त कर ली जाएगी।
15. कार्यादेश जारी होने के सात दिवस में निर्धारित मुद्रांक राशि के नॉन ज्युडिशिल स्टाम्प पर अनुबंध का निष्पादन करना होगा। अनुबंध निष्पादन उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
16. उक्त निलामी की दरे बिड फोरमेट में भरकर सील बंद लिफाफे मे धरोहर राशि के साथ कमरा नं. 56 में स्थित निलामी बॉक्स में दिनांक 26.12.2017 को सायं 4.00 बजे तक डाली जानी है।
17. दर प्रस्तुत करने हेतु बिड फोरमेट जेडीए की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है या कार्यालय के कमरा नं. 56 से प्राप्त किया जा सकता है। (डाऊनलोड)

अधिशाषी अभियंता (जोन दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

मेरे द्वारा उपरोक्त शर्तो को ध्यानपूर्व पढ लिया तथा उपरोक्त अनुसार प्रस्तुत की गयी दरो पर कार्य करने को सहमत हूँ।

बोलीदाताओ के हस्ताक्षर मय मोहर